



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

## जिला बदर सहित दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध शस्त्र बरामद

दिनांक:-10.11.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रभावी अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना मिश्रित व कोतवाली नगर द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विवरण निम्न है-

1. थाना मिश्रित द्वारा जिलाबदर अपराधी अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार- थाना मिश्रित पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर द्वारा जनपद की सीमा से छः माह के लिये निष्कासित किये गये जिला बदर अभियुक्त बैजनाथ पुत्र सीताराम नि० रामपुर ग्रंट थाना मिश्रित सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिससे एक अदद अवैध तमंचा व एक कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 556/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट व मु०अ०सं० 557/22 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया है।

### आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 580/05 धारा 379/411 भादवि थाना मिश्रित सीतापुर
  2. मु०अ०सं० 586/05 धारा 379/411 भादवि थाना मिश्रित सीतापुर
  3. मु०अ०सं० 630/05 धारा 147/148/149/307 भादवि व 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना मिश्रित सीतापुर
  4. मु०अ०सं० 633/05 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना मिश्रित सीतापुर
  5. मु०अ०सं० 10/18 धारा 392/411 भादवि थाना मिश्रित सीतापुर
  6. मु०अ०सं० 556/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना मिश्रित सीतापुर
  7. मु०अ०सं० 557/22 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम थाना मिश्रित सीतापुर
2. थाना कोतवाली नगर द्वारा अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त गिरफ्तार- थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त गोलू श्रीवास्तव पुत्र स्व० पप्पू श्रीवास्तव नि० मो० दुर्गापुरवा थाना कोतवाली नगर सीतापुर को 01 अदद अवैध शस्त्र मय 01 अदद जिंदा कारतूस

315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरुद्ध जनपद हरदोई में चोरी/नकबजनी जैसे अपराध में कई अभियोग तथा गैंगेस्टर एक्ट में भी अभियोग पंजीकृत है। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु0अ0सं0 574/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

**अपराधिक इतिहास अभि0 गोलू:-**

1. मु0अ0सं0 573/21 धारा 379/411/413 भादवि थाना को0 देहात हरदोई।
2. मु0अ0सं0 400/22 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना बेनीगंज हरदोई।
3. मु0अ0सं0 510/21 धारा 379/411 भादवि थाना बेनीगंज जनपद हरदोई।
4. मु0अ0सं0 513/21 धारा 41/411/413 भादवि थाना बेनीगंज जनपद हरदोई।

